न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर, आर.ए.एस.

बनाम

वादी :–
जहांगीर हुसैन पुत्र सुबराती खान,
जाति मुसलमान निवासी 39, खुशबू
मंजिल, अमन नगर रामनेर रोड़
गांधीनगर, मदनगंज किशनगढ

प्रतिवादीगण :–
1. कैलाश पुत्र उगमाराम जाट
2. नंदकिशोर पुत्र उगमाराम जाट
3. पुखराज पुत्र उगमाराम जाट
4. प्रभू पुत्र उगमाराम जाट
5. भंवरी पत्नी उगमाराम जाट
   निवासी सराना, तह. अजमेर
6. भंवरी पुत्री रामकरण पत्नी
   नन्दाराम जाट सा. सराधना
7. खुशबू कंवर पत्नी रमजान
8. जायदा बानो पत्नी सलमान
   कायमखानी सा. रामनेर की ढाणी
9. उप पंजीयक अरडका/अजमेर
10. तहसीलदार, अजमेर

दावा बाबत :– बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित :– श्री सहदेव चौधरी अधिवक्ता वादी।
मुकदमां नम्बर:– 2022/54(25/2022)

निर्णय दिनांक :– 01/07/2025

निर्णय

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादी 1 से 8 की सह खातेदारी की आराजीयत खाता संख्या नया 565 पुराना 218 के खसरा नम्बर 1227 रकबा 1.11 हैक्टयर किस्म बारानी 1 ग्राम सराना तहसील अजमेर में स्थित है। जिसमें वादी 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण जमाबन्दी में दर्ज हक हिस्से अनुसार प्रत्येक का हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त आराजीयत का विधिव रूप से बंटवारा नहीं हो रखा है। खातेदारी संयुक्त दर्ज रिकार्ड है। जिसका फायदा उठा कर प्रतिवादीगण वादी अपने हक हिस्से की भूमि से महरूम करने के इरादे से खेत जोतन व अन्य उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा आये दिन लड़ाई झगेडे करना प्रारम्भ कर दिया है। जिससे वादीगण को संयुक्त रूप से काश्त करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिससे वादी ने यह वाद पेश कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर विवादित आराजीयत का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा करवाने की इस्तदुआ की है।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी 1 से 6 बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी 7 व 8 ने दिनांक 19.09.2022 को इकबालिया जबाब पेश कर कथन किया कि वादी के वाद अनुसार डिक्री किया जाता है तो हमें

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

प्रतिवादीगण को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है बल्कि हम पूर्ण सहमत है। प्रतिवादी 9 व 10 का जबाब बंद किया गया। उभय पक्षकारो को की विधिवत सुनवाई कर वादी का वाद दिनांक 13.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार अजमेर को कुर्रेजात (बंटवारा प्रस्ताव) रिपोर्ट तैयार कर पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार अजमेर ने अपने पत्रांकः भू.अ./53/2024/5837 दिनांक 12.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात (बंटवारा प्रस्ताव) रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किया। वादी व प्रतिवादी 7 व 8 के अधिवक्ता ने कुर्रेजात रिपोर्ट को पढ़ समझ कर सही होना स्वीकार किया।

3. हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा तहसीलदार अजमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का विवेचन किया। उभक्ष पक्षकारान के विद्धवान अधिवक्तओं की बहस पर मनन किया।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम सराना तहसील अजमेर के खसरा नम्बर 1227 रकबा 1.11 हैक्टयर भूमि में वादी व प्रतिवादीगण 1 से 8 संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की है। वकील वादी ने मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाकर अलग – अलग होल्डिंग कायम करने का निवेदन किया है। जिससे वादी का वाद साबित होता है, स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम सराना तहसील अजमेर के खसरा नम्बर 1227 रकबा 1.11 हैक्टयर भूमि का तहसीलदार अजमेर के कुर्रेजात रिपोर्ट में वर्णित हक हिस्से व रकबे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट में वर्णित अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की अलग– अलग होल्डिंग कामय कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 01/07/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

(रतन कौर)
सहायक कलेक्टर (मु0)
अजमेर

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर(मु.)अजमेर

राजस्व वाद पत्र संख्या 16/2022

उनवान

जहांगीर हुसैन बनाम कैलाश व अन्य

निर्णय दिनांक 01/07/2025

वादी की ओर से सहदेव चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01/7/25 को रतन कौर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर अन्तिम डिक्री इस कदर जारी की जाती है कि खातेदारी की आराजीयत खाता संख्या नया 565 पुराना 218 के खसरा नम्बर 1227 रकबा 1.11 हैक्टयर किस्म बारानी 1 ग्राम सराना तहसील अजमेर का खाता विभाजन करने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत बटवारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशों(नियम18 से 20) की पालना कराते हुए किस्म मूल्य व लगाने के आधार पर उभय पक्ष की मौजूदगी में भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव में नक्शा भिन्न–भिन्न रगों का दर्शाते हुए न्यायालय मे 30 दिवस में प्रस्तुत करें।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे ।

यह आज तारीख 01/07/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर की गई ।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर(मु.)अजमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	–	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	–
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीटर की फीस	
.... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
फीस कमीशनर		कमिशनर की फीस	
आदेशिका की तामिल		योग	
योग			

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर(मु.)अजमेर